भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1443

29 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

दोषी मछली आहार और तेल इकाइयों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान

1443. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के समन्वय से उन दोषी मछली आहार और तेल इकाइयों, जो किशोर मछलियों की खरीददारी करती हैं या बुल ट्रॉलिंग, एलईडी फिशिंग जैसी प्रतिबंधित विधियों का उपयोग करते हैं, के विरुद्ध केवल निरंतर निगरानी के अलावा दंडित करने हेतु एक ठोस और त्रुटिरहित तंत्र विकसित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री जॉर्ज कुरियन)

'मात्स्यिकी' विषय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की 'प्रविष्टि 21' के अंतर्गत आता है। भारत सरकार ने इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनोमिक ज़ोन (EEZ) में हानिकारक मत्स्यन तरीकों, जैसे बुल या पेयर ट्रॉलिंग, आर्टिफ़िश्यल लाइट्स या LED लाइटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (मरीन इकोसिस्टम) को नुकसान पहुँचाने वाली अपरिरक्षणीय मत्स्यन प्रथाओं को रोका जा सके। सभी समुद्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे क्षेत्रीय जल (टेरिटोरियल वाटर्स) के भीतर और बाहर बुल या पेयर ट्रॉलिंग और LED लाइटों के उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ । तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई है कि (i) अपने क्षेत्रीय जल में वे आवश्यक सरकारी आदेश जारी करें, जिसमें मत्स्यन के लिए पेयर/बुल ट्रॉलिंग, आर्टिफ़िश्यल/LED लाइट के उपयोग सहित विनाशकारी मत्स्यन तरीकों पर रोक लगाई जाए, (ii) सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले फिशिंग वेसेल्स के पंजीकरण/लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाए, (iii) बार-बार उल्लंघन करने पर फिशिंग वेसेल्स के पंजीकरण/लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, और (iv) ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के बारे में तटरक्षक और अन्य समुद्री प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित किया जाए, साथ ही ऐसे फिशिंग वेसेल्स के संचालन को रोकने के निदेश दिए जाएं।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार मानसून या मत्स्य प्रजनन काल के दौरान मछली पकड़ने पर 61 दिनों का एक समान प्रतिबंध (यूनिफ़ोर्म बैन) लागू करता है। तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी प्रजनन काल के दौरान मछलियों की सुरक्षा और जुवेनाइल फिशिंग को रोकने के लिए EEZ में मत्स्यन पर एक समान प्रतिबंध के अनुरूप अपने क्षेत्रीय जल में भी मत्स्यन पर प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। जाल-आकार के नियमों के अलावा, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा जैसे तटीय राज्यों ने जुवेनाइल फिशिंग को रोकने के लिए अपने समुद्री मरीन फिशिंग रेग्युलेशन एक्ट्स (MFRAs) के तहत चुनिंदा मत्स्य प्रजातियों के लिए मिनिमम लीगल साइज़ (MLS) भी लागू किया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण [मरीन प्रोडक्टस एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट एथोरीटी (MPEDA)], उत्पादों का निर्यात करने की इच्छुक मत्स्य आहार और मत्स्य तेल (FMFO) यूनिट्स का निर्धारित पंजीकरण प्रक्रियाओं के अनुसार पंजीकरण करता है। इस प्रक्रिया द्वारा गुणवत्ता मानकों और आवश्यक वैधानिक अनुमोदनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है जिसमें स्थानीय प्राधिकरण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) से मंज़ूरी भी शामिल है। आवश्यक दस्तावेज़ों के सत्यापन और सुविधा के मूल्यांकन के बाद, MPEDA उत्पादन क्षमता निर्धारित करता है और यूनिट को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करता है। यदि यूनिट द्वारा प्रदान की गई किसी भी निर्धारित शर्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है।

****